



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230621  
CG-DL-E-22102021-230621

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4054]  
No. 4054]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4408(अ).—केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, जो कि नागर विमानन मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है, को आगे से, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का XXII) के खंड 4ख के उप-खंड (1) की शर्तों के अनुसार गठित निकाय माना जाएगा।

[फा. सं. एवी-29015/55/2015-डीजी]

सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION  
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

S.O. 4408(E).—The Central Government hereby notifies that the Bureau of Civil Aviation Security, the attached office of Ministry of Civil Aviation, henceforth, shall be known as a body constituted in terms of sub-section (1) of section 4B of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934).

[F. No. AV-29015/55/2015-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.